

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:-प.24/निकृवि/ई-नाम/नवाचार/2022/508-09

दिनांक: 05/04/2022

निदेशक,

लघू कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC),
5 तल एनसीयूआई, अगस्त क्रांती मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली-110016,
E-Mail- sfac@nic.in

विषय:- ई-नाम पोर्टल पर तकनीकी रूप से फीस कम्पोनेंट के अन्तर्गत मण्डी शुल्क, आढत के साथ कृषक कल्याण शुल्क की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विज्ञप्त कृषि जिन्सों की अनुसूची पर प्रभावी मण्डी शुल्क एवं आढत तथा कृषक कल्याण कोष की नवीनतम प्रभावी दरें दिनांक 01.04.2022 से निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं	विनिर्दिष्ट जिन्से	मण्डी शुल्क	आढत	कृषक कल्याण शुल्क
1-तन्तु	कपास	1.60%	2.25%	0.50%
2-धान्य	गैहूँ, जौ, बेजड, गोचना, गोजरा, धान्य (पेडी)	1.60%	2.25%	0.50%
	ज्वार, मक्का, बाजरा,	0.50%	1.00%	0.50%
3-फली वाले	मूंग, अरहर, उडद, चौला, बटला, चना, मोठ, ग्वार, कुल्थी, मसूर	1.60%	2.25%	0.50%
4-तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, रायला, मुंगफली	1.00%	2.25%	0.50%
5-फल	निम्बु, मालटा, सन्तरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबुज, अनार, सिंगाडा, केले बेर, मासमी, अंगुर, फालसा, खीरा, ककडी, सेव, शहतुत, खिरनी, चिकु, लीची, लीकाट, आंवला, खुरमानी, आडु, जामुन, कमलगट्टा, आलु बुखारा	0	6.00%	1.00%
6-सब्जियां	आलु, शक्करकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दु, फुलगोभी, बन्दगोभी, गाजार, बैंगन, मूली, हरी मिर्च, भिण्डी, हरी मटर, लहसून, टिण्डी, लोकी, अरबी, तोराई, करेला, हरी चोलाई, हरी हल्दी, करोन्दा, केरी, सलगम, परवल, जमीकन्द, कटहल, कमल ककडी, रतालू	0	6.00%	1.00%
7-पशु पालन उत्पादन	ऊन (ऊन व बकरी के बाल)	0.01%	2.25%	0%
	घी	1.60%	2.25%	0.50%
8-मसाले	जीरा, इसबगोल	0.50%	1.00%	0.50%
	धनिया, लाल मिर्च, मेथी, सोफ, अजवायन, अदरक, लहसुन	1.60%	2.25%	0.50%
9-वन उपज	ईमारती लकडी	1.60%	2.25%	0.50%
	बांस, झाड, झंखाड, टूठ, बैत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तैदू या केन्दू पत्ते, औषधिये पौधे और जडी बूटियां, मूल, कंद, रतनजोत, गौंद, फुहाड, सूखा	1.60%	2.25%	0.50%

	आवंला, महुआ, फूल, बीज, (डोलमा), आवंला, सफेद मूसली, बहेडा, सूखा बेर, कन्जडी, कणजी, हरडा, पलाश के फल, कैर, सांगरी, चारोली, गुन्दा, कत्था, लाल कांगडी, निम्बोहडी (नीम का बीज) एवं सुगन्धित पौधे।			
10-विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड, चीनी, खाण्ड, खाण्डसारी, मेहन्दी, अश्वगंधा, फूल, फूल की सुखी पत्तीयां, नारियल पानी वाला हरा, सोनामुखी	1.60%	2.25%	0.50%

अतः ई-नाम पोर्टल में तकनीकी रूप से समस्त 144 कृषि उपज मण्डी समितियों हेतु फीस कम्पोनेंट के अन्तर्गत मण्डी शुल्क के साथ-साथ कृषक कल्याण शुल्क एवं आढत की दरों में उपरोक्तानुसार संशोधित दरों को दर्ज कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्न :उक्तानुसार।

(सोहनलाल शर्मा)

निदेशक

कृषि विपणन

दिनांक: 05/04/2022

क्रमांक:-प.24/निकृवि/ई-नाम/नवाचार/2020/508-09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. राज्य समन्वयक, ई-नाम (राज.), नागार्जुना फर्टिलाइजेशन एण्ड कैमिकल लि0, हैदराबाद।

निदेशक

कृषि विपणन

**विज्ञप्त कृषि जिन्सों की अनुसूची पर प्रभावी मण्डी शुल्क एवं आढत की दर
(01.04.2022 से प्रभावी)**

क्र.सं	विनिर्दिष्ट जिन्से	मण्डी शुल्क	प्रभावी दिनांक	आढत	प्रभावी दिनांक
1-तन्तु	कपास	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
2-धान्य	गैहूं, जौ, बेजड, गोचना, गोजरा, धान्य (पेडी)	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
	ज्वार, मक्का, बाजरा,	0.50%	19.10.06	1.00%	19.10.2018
3-फली वाले	मूंग, अरहर, उडद, चौला, बटला, चना, मोठ, ग्वार, कुल्थी, मसूर	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
4-तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, रायला, मुंगफली	1.00%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
5-फल	निम्बु, मालटा, सन्तरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबुज, अनार, सिंगाडा, केले बेर, मासमी, अंगुर, फालसा, खीरा, ककडी, सेव, शहतुत, खिरनी, चिकु, लीची, लीकाट, आवला, खुरमानी, आडु, जामुन, कमलगट्टा, आलु बुखारा	0		6.00%	01.04.2022
6-सब्जियां	आलु, शक्करकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दु, फुलगोभी, बन्दगोभी, गाजार, बैंगन, मूली, हरी मिर्च, भिण्डी, हरी मटर, लहसून, टिण्डी, लोकी, अरबी, तोराई, करेला, हरी चोलाई, हरी हल्दी, करोन्दा, केरी, सलगम, परवल, जमीकन्द, कटहल, कमल ककडी, रतालू	0		6.00%	01.04.2022
7-पशु पालन उत्पादन	ऊन (ऊन व बकरी के बाल)	0.01%	05.08.13	2.25%	01.04.2022
	घी	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
8-मसाले	जीरा, इसबगोल	0.50%	12.07.04	1.00%	12.07.2014
	धनिया, लाल मिर्च, मेथी, सोफ, अजवायन, अदरक, लहसुन	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
9-वन उपज	ईमारती लकडी	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
	बांस, झाड, झंखाड, ठूठ, बैत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तैदू या केन्दू पत्ते, औषधिये पौधे और जडी बूटियां, मूल, कंद, रतनजोत, गौंद, फुहाड, सूखा आवला, महुआ, फूल, बीज, (डोलमा), आवला, सफेद मूसली, बहेडा, सूखा बेर, कन्जडी, कणजी, हरडा, पलाश के फल, कैर, सांगरी, चारोली, गुन्दा, कत्था, लाल कांगडी, निम्बोहडी (नीम का बीज) एवं सुगन्धित पौधे।	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022
10-विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की जोडी, गुड, चीनी, खाण्ड, खाण्डसारी, मेहन्दी, अश्वगंधा, फूल, फूल की सुखी पत्तियां, नारियल पानी वाला हरा, सोनामुखी	1.60%	01.04.2022	2.25%	01.04.2022

विज्ञापित कृषि जिन्सों की अनुसूची अनुसार प्रभावी कृषक कल्याण शुल्क की दर
(01.03.2021 से 31.03.2023 तक प्रभावी)

क्र.स.	विनिर्दिष्ट जिन्से	कृषक कल्याण फीस	अधिसूचना दिनांक
1.	ऊन	0.00%	22.05.2020
2.	ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा एवं ईसबगोल	0.50%	22.05.2020
3.	फल एवं सब्जी	1.00%	27.02.2021 एवं 14.03.2022
4.	अनुसूची में बताई गई अन्य सभी कृषि उपज पर	0.50%	27.02.2021 एवं 14.03.2022